

वाद क्र. 165/2018 निव्वारान्त | अनाया

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख
हुक्म
१७/१७

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी एवं उनके अधीवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं।

आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाजें दिलवाये जानें के बावजूद प्रार्थी एवं उनके अधीवक्ता में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल सुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपस्थित अधीवक्ता
शिव

नम्बर व ता
अहकामजोश
की
तामीलमेंजारीहुए

